आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

मांग संख्या 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1289.90	2.70	1292.60	1425.35	3.30	1428.65	2017.00	31.30	2048.30	2107.10	23.70	2130.80
वसूलियां	*-46.26*	...	-46.26	...	...	...	*-490.50*	...	*-490.50*	*-504.43*	...	*-504.43*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1243.64**	**2.70**	**1246.34**	**1425.35**	**3.30**	**1428.65**	**1526.50**	**31.30**	**1557.80**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.62	...	20.62	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	38.00	...	38.00
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	56.22	...	56.22	71.00	...	71.00	59.33	...	59.33	62.49	...	62.49
3. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.65	...	2.65	4.00	...	4.00	3.75	...	3.75	5.69	...	5.69
4. सीजीएचएस में आयुष विस्तार	1.16	...	1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.91	...	2.91	3.70	0.30	4.00	3.14	0.30	3.44	4.40	0.20	4.60
6. कार्यालय भवन का अधिग्रहण	...	...	...	...	...	...	...	28.00	28.00	...	23.00	23.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**83.56**	**...**	**83.56**	**103.70**	**0.30**	**104.00**	**91.22**	**28.30**	**119.52**	**110.58**	**23.20**	**133.78**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण												
7. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में लगे हुए गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों में सहायता	1.75	...	1.75	4.00	...	4.00	11.00	...	11.00	5.00	...	5.00
8. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2.96	...	2.96	5.76	...	5.76	5.76	...	5.76	5.00	...	5.00
9. आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. आयुष सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, अनुप्रयोगों और नेटवर्कों का विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	0.09	...	0.09	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
12. सीसीआईएम निर्वाचन कराने हेतु अनुदान	1.01	...	1.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति	0.44	...	0.44	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
14. मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन	2.00	...	2.00	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	1.36	...	1.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)	24.66	...	24.66	34.00	...	34.00	37.10	...	37.10	34.00	...	34.00
16. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	13.74	...	13.74	13.00	...	13.00	15.28	...	15.28	13.00	...	13.00
17. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	...	...	...	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
18. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	3.97	...	3.97	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
19. टीकेडीएल और आईएसएमएच बौद्धिक संपदा अधिकार	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
20. पुलिस कार्मिकों के लिए योग प्रशिक्षण	3.94	...	3.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	4.20	...	4.20	5.00	...	5.00	9.00	...	9.00	6.00	...	6.00
22. आयुष के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति प्रैक्टिस में लगे गैर-सरकारी संगठनों का निधियन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठी /कार्यशाला	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण	**58.76**	**...**	**58.76**	**68.86**	**...**	**68.86**	**87.64**	**...**	**87.64**	**71.36**	**...**	**71.36**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**58.76**	**...**	**58.76**	**68.86**	**...**	**68.86**	**87.64**	**...**	**87.64**	**71.36**	**...**	**71.36**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
24. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	7.45	...	7.45	3.85	...	3.85	3.23	...	3.23	4.50	...	4.50
25. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	3.70	...	3.70	4.14	...	4.14	3.94	...	3.94	5.10	...	5.10
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**11.15**	**...**	**11.15**	**7.99**	**...**	**7.99**	**7.17**	**...**	**7.17**	**9.60**	**...**	**9.60**
स्वायत्त निकाय												
26. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	26.00	...	26.00	24.00	...	24.00	19.59	...	19.59	32.00	...	32.00
27. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	154.00	...	154.00	175.00	...	175.00	216.07	...	216.07	252.91	...	252.91
28. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	79.18	...	79.18	95.50	...	95.50	112.25	...	112.25	109.50	...	109.50
29. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	111.24	...	111.24	123.00	...	123.00	133.93	...	133.93	130.00	...	130.00
30. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	35.17	...	35.17	37.50	...	37.50	51.90	...	51.90	46.00	...	46.00
31. अन्य स्वायत्त निकाय	313.32	...	313.32	349.30	...	349.30	316.23	...	316.23	336.29	...	336.29
जोड़-स्वायत्त निकाय	**718.91**	**...**	**718.91**	**804.30**	**...**	**804.30**	**849.97**	**...**	**849.97**	**906.70**	**...**	**906.70**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
32. आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश	...	2.70	2.70	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	0.50	0.50
अन्य												
33. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	490.50	...	490.50	504.43	...	504.43
34. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-490.50	...	-490.50	-504.43	...	-504.43
35. वास्तविक वसूलियां	-44.05	...	-44.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-44.05**	**...**	**-44.05**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**686.01**	**2.70**	**688.71**	**812.29**	**3.00**	**815.29**	**857.14**	**3.00**	**860.14**	**916.30**	**0.50**	**916.80**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
36. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	417.52	...	417.52	440.50	...	440.50	490.50	...	490.50	504.43	...	504.43
	-2.21	...	-2.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*415.31*	...	*415.31*	*440.50*	...	*440.50*	*490.50*	...	*490.50*	*504.43*	...	*504.43*
कुल जोड़	***1243.64***	***2.70***	***1246.34***	***1425.35***	***3.30***	***1428.65***	***1526.50***	***31.30***	***1557.80***	***1602.67***	***23.70***	***1626.37***
ख. योजना परिव्यय												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	824.30	...	824.30	914.85	...	914.85	952.82	...	952.82	1041.14	...	1041.14
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	20.62	...	20.62	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	38.00	...	38.00
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	2.70	2.70	...	3.30	3.30	...	31.30	31.30	...	23.70	23.70
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**844.92**	**2.70**	**847.62**	**939.85**	**3.30**	**943.15**	**977.82**	**31.30**	**1009.12**	**1079.14**	**23.70**	**1102.84**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	143.00	...	143.00	155.00	...	155.00	83.00	...	83.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	397.02	...	397.02	332.50	...	332.50	390.68	...	390.68	433.00	...	433.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.70	...	1.70	10.00	...	10.00	3.00	...	3.00	7.53	...	7.53
जोड़-अन्य	**398.72**	**...**	**398.72**	**485.50**	**...**	**485.50**	**548.68**	**...**	**548.68**	**523.53**	**...**	**523.53**
कुल जोड़	**1243.64**	**2.70**	**1246.34**	**1425.35**	**3.30**	**1428.65**	**1526.50**	**31.30**	**1557.80**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालय सेवा प्रदान करती है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वोस्त गुणवत्ताज की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाूने संरक्षण और पर-स्थातने कृषि को प्रोत्सा हन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्माक और संविदात्मपक कृषि स्कीवमें चलाता है। राष्ट्री य औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्योंन और 5 संघ राज्यड क्षेत्रों में घरेलु खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्चा अग्रता प्राप्तय कृषि को प्रोत्साीहित करनेके लिए 32 राज्यी य औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्यो पैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्था न पर स्वऔदेशी औषधों का पता लगाना।

5. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्ताकयुक्तय नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्ताीयुक्तक नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

6. **कार्यालय भवन का अधिग्रहण:** राष्ट्री य भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्मिलत और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निरीक्षित पूर्वी किदवई नगर परियोजना, नई दिल्ली के पुनर्विकास में 16095 वर्ग फुट तैयार कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए प्रावधान रखा गया है।

7. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में लगे हुए गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों में सहायता:** ख्यागति प्राप्तय आयुष संस्था‍ओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्न यन उत्कृष्ट ता स्त र तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्ताावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वाास्थ्ि परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वाास्थ्ि कार्यक्रमों में आयुष चिकित्साावभ्याासियोंके उपयोग को प्रोत्सााहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

9. **आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

10. **आयुष सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, अनुप्रयोगों और नेटवर्कों का विकास:** यह स्कीम बंद करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

11. **आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास:** इस स्कीhम को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

13. **होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति:** होम्योपैथी चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद , भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भेषज संहिता समिति और भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण एंड एच प्रयोगशालाओं के प्रशासन और वित्तीय मामलों का समन्वय करना।

14. **मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन:** आयुष उत्पादों की उपलब्धता, मांग, उपयोग और व्यापार में सुधार करना।

15. **सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी):** सभी के लिए स्वाास्थ्यक के उद्देश्यo को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्यद शैक्षणिक सामग्री के उत्पाेदन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्येम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्योंत की बीच जागृति उत्पLन्न करना।

16. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्साा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पाे और होम्योथपैथी के अंतर्राष्ट्रीषय संवर्धन, विकास और मान्यसता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्साक पद्धतियों की वैश्विाक स्वी,कार्यता को प्रोत्साहिन देना; उभरती स्वानस्थ्यो समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्री य स्त्र पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थांपना करना।

17. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वाणस्थ्या के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योतपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थामनिक तंत्रविकसित करना।

18. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुप कार्मिकों की व्याावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नpयन करना।

19. **टीकेडीएल और आईएसएमएच बौद्धिक संपदा अधिकार:** इसस्कीcम को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

21. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** अग्रतादत्तष बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ताय के लिए वैज्ञानिक साक्ष्योंक को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टिककोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।

22. **आयुष के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति प्रैक्टिस में लगे गैर-सरकारी संगठनों का निधियन:** यह स्कीम समाप्त कर दी गई है।

23. **आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठी /कार्यशाला:** इस स्कीम को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन में विलय कर दिया गया है।

24. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योशपैथी के केंद्रीय पंजीकरण का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्याता को शामिल करने के लिए प्रत्यतक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा12क के संदर्भमें नए कॉलेजों को मान्यअता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

25. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नाणतकपूर्व एवं स्नाातकोत्तार शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था ओं का दौरा करके भाचिप कॉलेजों में शिक्षा के न्यूसनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्त र पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सात केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्साययोग्याताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यीता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना(iii) भारतीय चिकित्साच की योग्योताओं को मान्यवता प्रदान करना (iv) चिकित्साकभ्याासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्याकवसायिक आचारण, शिष्टा चार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिकाका अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्सालभ्यारसियों को नामांकन/प्रत्याक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

26. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्री य और अंतर्राष्ट्री य स्तeर पर आयुर्वेद में स्ना)तकोत्तपर एवं पोस्ट - डॉक्टारल शिक्षा (एमडी/पीएचडी) के बैंचमार्क स्था पित करना।

27. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्साि पद्धति के वैधीकरणहेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यि,क अनुसंधान और प्रलेखन।

28. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योापैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पत्जतिक सर्वेक्षण, भेषजविज्ञान भेषजसंहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यि-क अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

29. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिकक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

30. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी एवं आईपीडी में रोगी परिचर्या प्रदान करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करना।

31. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) आयुर्वेद स्नाीतकोत्तफरशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाधन (आईपीजीटीआरए), जामनगर (ii)राष्ट्री य आयुर्वेद संस्थासन (एनआईए), जयपुर (iii) राष्ट्री य आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्लीन (iv) राष्ट्री य सिद्ध संस्थादन (एनआईएस), चेन्नाई (v) राष्ट्री य यूनानी चिकित्सा् संस्थाान (एनआईयूएम), बंगलौर (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्री य योग संस्थादन (एमडीएनआईवाई), नई दिल्लीय (vii) राष्ट्री य प्राकृतिक चिकित्साष संस्थाान (एनआईएन), पुणे (viii) पूर्वोत्तेर आयुर्वेद और होम्योापैथी संस्था्न (एनईआईएएच), शिलांग (ix पूर्वोत्तार लोक चिकित्सा् संस्थाान (एनईआईएफएम), पासीघाट, अरूणाचल प्रदेश (x) राष्ट्री य औषधीय पादप संस्थाीन (xi) राष्ट्री य सोवा रिग्पार संस्थारन और (xii) इंडियन इंस्टीईट्यूट ऑफ आयुष फार्मास्यूुटिकल साइंसेज के लिए प्रावधान शामिल हैं।

32. **आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश:** आईएमपीसीएल, मोहान,उत्तराखंड जो सरकारी अस्प तालों और औषधालयोंको एएसयू औषधोंकी आपूर्ति के लिए उत्पा दन करता है,के लिए प्रावधान शामिल है।

36. **राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम):** (i) आयुष अस्पितालों और औषधालयों के उन्नएयन, पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पततालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थामपना के माध्यशम से वैश्विपक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्धच कराना (ii) राज्यस स्ततर पर आयुष शैक्षिक संस्था नों, फार्मेसियों, औषधि परीक्षण का उन्नसयन कर संस्थाहगत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पा़दन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।